सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 24 / 2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री पीरूलाल जाति प्रजापति निवासी राजपुरा वार्ड बारां **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स एम.एम.बी. स्वीट्स, प्रताप चौक, बारां
2. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी शिव कॉलोनी वार्ड नं. 30 बारां। मेसर्स मनिष कुमार गौरव कुमार, घी वाला कटला, प्रताप चौक, बारां
3. श्री भरत कुमार सुकिजा पुत्र श्री गोरधनदास सुकिजा निवासी 11 / 622 ड्रॉन स्कूल के सामने, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर, राज. (नोमिनी) BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD. F-196/199, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006.
4. BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD. F-196/199, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334006.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2— श्री घनश्याम अग्रवाल एडवोकेट (अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय दिनांक 13.07.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2016 को मेसर्स एम.एम.बी. स्वीट्स, प्रताप चौक, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री पीरूलाल **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकाजी) 1.25 कि.ग्रा. टिन के पैक डिब्बों** में लगभग 08 डिब्बों की मात्रा में रखा हुआ था, में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से **रसगुल्ला (बीकाजी) 1.25 कि.ग्रा.** के 04 पेक डिब्बे विक्रेता से वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 600 / — रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **रसगुल्ला (बीकाजी) 1.25 कि.ग्रा.** के 04 पेक मूल डिब्बों को ही चार नमूना भाग में कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग—अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2016/331 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 342/FSSA/Kota/Act/2016/368 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **रसगुल्ला (बीकाजी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि कम्पनी जो भी लेबल रसगुल्ले के पेकेट पर लगाती है वह वजन मशीनों द्वारा डिब्बों में भरा जाता है एवं प्रमाणित रूप से सही होता है। रसगुल्लों में चाशनी के रूप में पानी की मात्रा होती है जो कभी कभी सूखकर कम हो जाती है। कम्पनी की साख पूरे भारतवर्ष में है, जांच अधिकारी द्वारा सही रूप से जांच नहीं की गई एवं नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई। सेम्पल लेने एवं रिपोर्ट आने में काफी दिनों का अन्तर है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकाजी)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कम्पनी जो भी लेबल रसगुल्ले के पेकेट पर लगाती है वह वजन मशीनों द्वारा डिब्बों में भरा जाता है एवं प्रमाणित रूप से सही होता है। जांच अधिकारी द्वारा सही रूप से जांच नहीं की गई। सेम्पल लेने एवं रिपोर्ट आने में काफी दिनों का अन्तर है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (बीकाजी)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थीगण को कुल 20,000/– अक्षरे बीस हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)